महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
(जनपद--झांसी/जालौन/ललितपुर/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर/महोबा को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 2007/सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2019-20, दिनांक 30.03.2019

विषयः- पशुपालन विभाग, उ0प्र0 में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना) के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें योजना अन्तर्गत जनपदों के विकास खण्ड स्तरीय पशुचिकित्सालयों पर व्यवस्थित किये गये सचल पशुचिकित्सा वाहनों के परिचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में निदेशालय के परिपत्र संख्या-1710/सा0-एक एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2019-20, दिनांक 20.03.2018 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है, जिसके अनुरूप आप द्वारा सम्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए वाहनों का परिचालन/योजना का कियान्वयन किया गया है।

जनदीय अधिकारियों द्वारा योजना को वित्तीय वर्ष 2019-20 में कियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर बार-बार दूरभाष पर पृच्छायें की जा रही है। जनपदीय अधिकारियों की सन्दर्भित पृच्छाओं के अनुक्रम में, बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें योजना को वित्तीय वर्ष 2019-20 में समुचित कियान्वित करने हेतु आपको विगत वर्ष की भाँति पुनः निर्देशित किया जाता है कि:-

- योजना के कियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गई मार्ग-निर्देशिका के अनुरूप योजना का कियान्वयन किया जाय। उक्त मार्ग-निर्देशिका में प्रदत्त निर्देशों के सापेक्ष किसी भी प्रकार के विचलन की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।
- **योजना की गाईड लाईन के अनुसार इन वाहनों को योजना से इतर अन्य कार्यों में कदापि न लगाया जाय।** यदि योजना के वाहनों का आप द्वारा अन्यत्र उपयोग किया जायेगा तो आप सवयं उत्तरदायी होंगें।
- मार्ग-निर्देशिका में निर्देशित किया गया है कि, ***"योजना के वाहनों का परिचालन, रूट निर्धारित कर किया जायेगा। निर्धारित रूट का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।"*** उक्त कार्यवाही आप द्वारा पूर्ण कर ली गई होगी। यदि अबतक पूर्ण न की गई हो तो तत्काल रूट चार्ट तैयार कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित् करें।
- प्रत्येक वाहन के परिचालन अन्तर्गत लागबुक की व्यवस्था एवं प्रविष्टियों को समुचित रूप से इन्द्राज/उललेख कराया जाय।

Scanned by CamScanner

➢ बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें योजना के समस्त वाहनों के परिचालन हेतु वाहन चालकों की व्यवस्था अन्तर्गत शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुक्रम में आऊट सोर्सिंग के माध्यम् से सेवा प्रदाता फर्मो के चयन की कार्यवाही उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद/निदेशालय, पशुपालन विभाग, द्वारा ई-टेण्डर के माध्यम् से क्रमित है। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के कारण प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता के सापेक्ष उक्त कार्यवाही माह-जून,2019 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

➢ फलतः शासन के पत्र संख्या-2680/37-2-2016 -1(32)/2015टी0सी0-1, दिनांक 14.12.2016 द्वारा द्वारा पूर्व में आउटसोर्सिंग द्वारा सेवा प्रदाता फर्मो के माध्यम् से वाहन चालकों की व्यवस्था अन्तर्गत चयनित फर्म से किये जाने वाले अनुबन्ध के अनुमोदित विलेख के पृष्ठ-2 पर शीर्षक-'अनुबन्ध की अवधि' में उल्लिखित है कि, '' जनशक्ति(ड्राइवर) को उपलब्ध कराने हेतु इस अनुबन्ध पत्र की अवधि की सीमा दिनांक 31 मार्च,2017 तक है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में विशेष परिस्थिति में प्रथम पक्ष की संस्तुष्टि के आधार पर अधिकतम 03 माह तक बढ़ाई जा सकती है।'' उक्त के सापेक्ष आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में सेवा प्रदाता के चयन की क्रमित प्रक्रिया के पूर्ण होने को दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना में आउटसोर्सिंग द्वारा सेवा प्रदाता फर्मो के माध्यम् से वाहन चालकों की व्यवस्था, उपरोक्त उलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में किये गये अनुबन्ध की शर्तो/प्रतिबन्धों के सापेक्ष सेवा प्रदाता फर्म से 03-माह तक वाहन चालकों की व्यवस्था किये जाने की सहमति लेकर वाहन चालकों की व्यवस्था करना सुनिश्चित् करें।

अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये योजना के क्रियान्वयन अन्तर्गत वांछित सूचना/प्रगति समयबद्धरूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

भवदीय,

30-03-19

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक 2007 /सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2019-20, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।

30-03-19

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

Scanned by CamScanner